

पत्र संख्या : ८८/४७०१ यो०ज०सं०-०१/२०१२

59

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० क० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: १३.६.१२

विषय :- मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष-८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष-७१-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ११-१२ में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-४९P470180800710545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिशिष्ट २ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | कुल आवंटन (लाख रु. में) |
|------|--|---|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य | ८००-अन्य व्यय / ७१-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ११-१२ में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व | ०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, ४९P470180800710545 | 113.00 |

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ तेरह लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट २ में वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम १९८० आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

J.A.U.(सुरेश प्रसाद भगत)
ग्रामगत अभियंता(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

८०
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

५९

रॉची, दिनांक :- १३.६.१२

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/मेदिनीनगर/गढ़वा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

८०

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

५९

रॉची, दिनांक :- १३.६.१२

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, /सचिव, योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।

१८.८.१
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

१८.८.१
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

१८.८.१
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

१८.८.१
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक..... 59

दिनांक/.6.12

का अनुलालनक

परिशिष्ट - 1

माँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग,
मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष-71-छोटानागापुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दर्शित

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180800710545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमाणित का नाम | मुख्य अधियंता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | मार्च 2012 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन | | | | |
|------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन | अन्युक्ति | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | रजपांकण प्रमाणित सं०-1, मेदिनीनगर | मेदिनीनगर | बटाने जलाशय योजना | 11602.00 | बिहार सरकार का पत्रांक-3 (टी)(ए)-4 / 2000 -पार्ट-II पत्रांक- 75 दि०-11.01.10 | 6569.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | | |
| | | | कुल योगा | 6569.00 | | 0.00 | | 113.00 | 113.00 | | |

आवांटित राशि - ₹ एक करोड़ तेरह लाख मात्र।

म.म.प.
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अधियंता

म.म.प.
(मुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अधि०)

म.म.प.
(एस० के० शोतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक : - 59

दिनांक..... १३.६.१२

का अनुलालनक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड-49P470180800710545

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमङ्गल का नाम | योजना का नाम | कार्य का विवरण | | | | पूर्व का आवंटन | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन | आयुर्वेद | |
|------|------------------|--------------|--|---|---|---|----------------|---------------|-----------|----------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | रुपांकण प्रमङ्गल | बटाने जलाशय | बटाने बांध एवं बराज के गेट एवं कन्ट्रोल रूप का निर्माण कार्य | | | | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | |
| | सं०-१, मेटिनीनगर | योजना | बटाने दांधी मुख्य नहर के शूल्य चेन से 110.00 चेन तक मिट्टी कार्य | | | | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | बटाने दांधी मुख्य नहर के 200 चेन से 390 चेन तक मिट्टी कार्य | | | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | बटाने दांधी मुख्य नहर के चेन सं०- 223.00 पर सी०डी० निर्माण कार्य एवं 279.00, 289.00 एवं 318.00 पर सी०डी० निर्माण कार्य | | | | 0.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | बटाने दांधी मुख्य नहर के चेन सं० 446 पर सी०डी० निर्माण कार्य | | | | 0.00 | 13.00 | 13.00 | | |
| | | | योगा | | | | 0.00 | 113.00 | 113.00 | | |

आवंटित राशि - ₹ एक करोड़ तेरह लाख मात्र।

1.1.1.1
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अधियंता

2.2.2.2
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (आमौ)

3.3.3.3
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव